UPVR010009312019

न्यायालयः अपर जिला व सत्र न्यायाधीश, द्रुतगामी न्यायालय प्रथम, वाराणसी।

पीठासीन अधिकारी- (कुलदीप सिंह -II), **(उच्चतर न्यायिक सेवा)- UP1818**

सत्र परीक्षण संख्या-53/2019

उत्तर प्रदेश सरकार **बनाम** **नफीस अहमद**

मु०अ०सं०- 323/2018

धारा- 417,506,376 भा.दं.सं.

थाना- जैतपुरा, वाराणसी।

क्र.सं.	**सूची पत्र**	
1.	**विवरण**	**पेज संख्या**
2.	**FORM-A**	2
3.	**FORM-B**	3-4
4.	**FORM-C**	5
5.	**प्रकरण के तथ्य**	6-7
6.	**मुकदमें में परीक्षित कराये गये साक्षियों का विवरण**	7
7.	**उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्क**	11-12
8.	**पारित निर्णय व आदेश**	17-18

दिनांक-22.07.2026

(कुलदीप सिंह द्वितीय)
अपर जिला व सत्र न्यायाधीश/
द्रुतगामी न्यायालय प्रथम, वाराणसी

Digitally signed by Kuldeep Singh II
Date: 2026.07.22 17:13:39 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

FORM-A

न्यायालयः अपर जिला व सत्र न्यायाधीश, द्रुतगामी न्यायालय प्रथम, वाराणसी।

पीठासीन अधिकारी- (कुलदीप सिंह -II), **(उच्चतर न्यायिक सेवा)- UP1818**

सत्र परीक्षण संख्या-53/2019

उत्तर प्रदेश सरकार **बनाम** **नफीस अहमद**

मु०अ०सं०- 323/2018

धारा- 417,506,376 भा.दं.सं.

थाना- जैतपुरा, वाराणसी।

विद्वान अधिवक्ता अभियोजन- श्री मनोज कुमार गुप्ता, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), वाराणसी।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त-

दिनांक-22.07.2026

(कुलदीप सिंह द्वितीय)
अपर जिला व सत्र न्यायाधीश/
द्रुतगामी न्यायालय प्रथम, वाराणसी

FORM-B

न्यायालयः अपर जिला व सत्र न्यायाधीश, द्रुतगामी न्यायालय प्रथम, वाराणसी।

पीठासीन अधिकारी- (कुलदीप सिंह -II)**, (उच्चतर न्यायिक सेवा)- UP1818**

सत्र परीक्षण संख्या-53/2019

उत्तर प्रदेश सरकार **बनाम** **नफीस अहमद**

मु०अ०सं०- 323/2018

धारा- 417,506,376 भा.दं.सं.

थाना- जैतपुरा, वाराणसी।

क्र. सं	**तिथि**	**घटना का विवरण**
1.	30.10.2018 व उसके पूर्व	दिनांक 30.10.2018 व उसके पूर्व भिन्न भिन्न समय व स्थान पर पीड़िता को छलपूर्वक विवाह करने का कथन करके पीड़िता के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध बलात्संग किया तथा जान से मारने की धमकी दिया।
2.	30.10.2018	वादी द्वारा एक किता तहरीर बावत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी को दी गयी जिसके आधार पर थाना जैतपुरा में मुकदमा पंजीकृत किया गया।
3.	31.10.2018	विवेचक द्वारा घटनास्थल का नक्शा नजरी तैयार किया गया।
4.	22.12.2018	विवेचक द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी की गयी।
5.	25.02.2019	अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किया गया।
6.	20.09.2019	साक्षी पी0 डब्लू 01 पीड़िता का साक्ष्य अंकित किया गया।
7.	25.01.2021	साक्षी पी0 डब्लू 02 शाहिबा नाज का साक्ष्य अंकित किया गया।
8.	07.08.2023	साक्षी पी0 डब्लू 03 डॉ० सत्यमित्र कुमार चतुर्वेदी का साक्ष्य अंकित किया गया।
9.	21.09.2024	साक्षी पी0 डब्लू 04 हेड का० महेश पाल का साक्ष्य अंकित किया गया।
10.	18.10.2024	साक्षी पी0 डब्लू-05 उपनिरीक्षक बृजेश कुमार पाण्डेय का साक्ष्य अंकित किया गया।
11.	25.03.2026	अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा-313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया।
12.	22.06.2026 से 21.07.2026	पक्षों की बहस सुनी गयी।
13.	22.07.2026	निर्णय एवं आदेश पारित किया गया।

क्र सं.	अभियुक्त का नाम	अभियुक्त की गिरफ्तारी की तिथि	जमानत की तिथि	आरोप	दोषमुक्त या दोषसिद्ध	दण्ड	धारा-428 दं.प्र.सं. के निमित्त घटायी गयी अवधि
1	नफीस अहमद	22.12.2018	29.01. 2019	धारा-417,506, 376 भा.दं.सं	दोषमुक्त	-	-

दिनांक-22.07.2026

(कुलदीप सिंह द्वितीय)
अपर जिला व सत्र न्यायाधीश/
द्रुतगामी न्यायालय प्रथम, वाराणसी

FORM-C

न्यायालयः अपर जिला व सत्र न्यायाधीश, द्रुतगामी न्यायालय प्रथम, वाराणसी।

पीठासीन अधिकारी- (कुलदीप सिंह -II), **(उच्चतर न्यायिक सेवा)- UP1818**

सत्र परीक्षण संख्या-53/2019

उत्तर प्रदेश सरकार **बनाम** **नफीस अहमद**

मु०अ०सं०- 323/2018

धारा- 417,506,376 भा.दं.सं.

थाना- जैतपुरा, वाराणसी।

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्षी की श्रेणी	प्रलेखीय साक्ष्य	प्रदर्श
पी०डब्लू० 1	पीड़िता	वादी मुकदमा	तहरीर बयान अंतर्गत धारा 164 दं.प्र.सं.	**प्रदर्श क-1** **प्रदर्श क-2**
पी०डब्लू० 2	शाहिबा नाज	तथ्य साक्षी	-	-
पी०डब्लू० 3	सत्यमित्र कुमार चतुर्वेदी	चिकित्सक साक्षी	मेडिकल प्रपत्र पूरक रिपोर्ट	**प्रदर्श क-3** **प्रदर्श क-4**
पी०डब्लू० 4	महेश पाल	पुलिस साक्षी	चिक एफ.आई.आर. जी.डी. कायमी	**प्रदर्श क-5** **प्रदर्श क-6**
पी०डब्लू० 5	बृजेश कुमार पाण्डेय	पुलिस साक्षी	नक्शानजरी आरोप पत्र	**प्रदर्श क-7** **प्रदर्श क-8**

दिनांक- 22.07.2026

(कुलदीप सिंह द्वितीय)
अपर जिला व सत्र न्यायाधीश/
द्रुतगामी न्यायालय प्रथम, वाराणसी

UPVR010009312019

न्यायालयः अपर जिला व सत्र न्यायाधीश, द्रुतगामी न्यायालय प्रथम, वाराणसी।

पीठासीन अधिकारी- (कुलदीप सिंह -II)**, (उच्चतर न्यायिक सेवा)- UP1818**

सत्र परीक्षण संख्या-53/2019

उत्तर प्रदेश सरकार

....**अभियोजन पक्ष।**

बनाम

नफीस अहमद पुत्र अंसार अली निवासी ए. 39/371 फकीर टोलिया थाना जैतपुरा, वाराणसी।

.... **अभियुक्त**

मु०अ०सं०- 323/2018
धारा- 417,506,376 भा.दं.सं.
थाना- जैतपुरा, वाराणसी।

निर्णय

1. अभियुक्त नफीस अहमद के विरूद्ध थाना जैतपुरा, वाराणसी की पुलिस द्वारा विचारण हेतु मु.अ.सं.-323/2018 अंतर्गत धारा-376,506,417 भा.दं.सं. के मामले में आरोप पत्र न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय, वाराणसी के समक्ष प्रेषित किया गया। प्रसंज्ञान लिया गया तथा अभियुक्त की नियमानुसार उपस्थिति एवं धारा 207 दं.प्र.सं. के अनुपालन के उपरांत अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय पाते हुए न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ, वाराणसी द्वारा दिनांक 18.01.2019 को सत्र सुपुर्द किया गया। पत्रावली माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय में विचारण हेतु प्राप्त हुई। (**निर्णय में पीड़िता को "पीड़िता" कहकर संबोधित किया जायेगा**)

2. वादी मुकदमा की तहरीर प्रदर्श क-1 दिनांकित 30.10.2018 के आधार पर अभियुक्त नफीस अहमद के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी है। संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि वादिनी के मोहल्ले का ही लड़का नफीश अहमद लगभग ढाई-तीन

वर्षों से वादी के घर आता-जाता था तथा उन दोनों के मध्य प्रेम संबंध हो गया। अभियुक्त द्वारा शादी का वादा कर पीड़िता के मना करने के बावजूद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। पीड़िता जब 18 अगस्त 2018 को दोपहर में अभियुक्त के घर गयी तो अभियुक्त द्वारा जान से मारने की धमकी देते हुए धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया गया।

3. वादी मुकदमा की लिखित तहरीर प्रदर्श क-1 पर थाना जैतपुरा वाराणसी में मु०अ०सं०-323/2018 अंतर्गत धारा-376,506 भा०दं०सं० अभियुक्त नफीस अहमद के विरूद्ध पंजीकृत हुआ।

4. दौरान विवेचना विवेचक द्वारा मामले के तथ्यों से संबंधित गवाहों की परीक्षा की गयी, वादी मुकदमा की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया गया। संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त नफीस अहमद के विरूद्ध धारा-417,506,376 भा.दं.सं. के अपराध में आरोप पत्र विचारण हेतु न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय, वाराणसी में प्रेषित किया गया।

5. अभियुक्त की उपस्थिति के उपरान्त न्यायालय द्वारा आरोप के बिन्दु पर सुनवाई के उपरांत अभियुक्त नफीस अहमद के विरूद्ध धारा-417,506,376 भा.दं.सं. के तहत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त द्वारा आरोपित अपराध से इंकार किया गया तथा विचारण की मांग की गयी।

6. दौरान विचारण अभियोजन पक्ष की ओर से निम्न साक्षीगण को परीक्षित कराया गया एवं दौरान विचारण अभियोजन पक्ष की ओर से निम्न प्रपत्रों को साबित किया गयाः-

i.	**पी०डब्लू० 1**	**वादी मुकदमा** जिन्होंने तहरीर को प्रदर्श क-1 व बयान अन्तर्गत धारा 164 को प्रदर्श क-2 के रूप में प्रमाणित किया है।
ii.	**पी०डब्लू० 2**	शाहिबा नाज **(तथ्य साक्षी)**
iii.	**पी०डब्लू० 3**	सत्यमित्र कुमार चतुर्वेदी **(चिकित्सक साक्षी)** जिन्होंने मेडिकल प्रपत्र को प्रदर्श क-3 व पूरक रिपोर्ट को प्रदर्श क-4 के रूप में साबित किया है।
iv.	**पी०डब्लू० 4**	महेश पाल **(पुलिस साक्षी)** जिन्होंने चिक.एफ.आई.आर को प्रदर्श क-5 व जी.डी. कायमी को प्रदर्श क-6 के रूप में साबित किया है।
v.	**पी०डब्लू० 5**	बृजेश कुमार पाण्डेय **(पुलिस साक्षी)** जिन्होंने नक्शानजरी को प्रदर्श क-7 व आरोप पत्र को प्रदर्श क-8 के रूप में साबित किया है।

7. सर्वप्रथम अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित साक्षियों के साक्ष्य का संक्षिप्त विवरण दिया जाना उचित हैः-

8. अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्षी संख्या-1 के रूप में- वादिनी मुकदमा/पीड़िता को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि- उसके मोहल्ले के नफीस अहमद पुत्र अंसार अली उम्र 23 वर्ष A39/371 फकीर तोलिया जिला वाराणसी पिछले लगभग 3 वर्षों से उसके घर आता जाता रहा है। इसी दौरान नफीस अहमद उससे बोला कि "मुझे तुमसे प्यार हो गया है और तुमसे मैं शादी करना चाहता हूँ।" और शादी की बात करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। उसके मना करने पर भी शादी के पहले यह सब करना ठीक नहीं है और वह शारीरिक संबंध बनाता रहा और कहता था कि "मैं तुम्हारे साथ ही शादी करूंगा।" नफीस अहमद इसी प्रकार से उसके साथ शादी का झांसा देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। नफीस अहमद उसके मना करने के बाद भी शारीरिक संबंध बनाता था। वह इस घटना के बारे में अपने घर पर बताई तब घर वाले बोले कि अब ऐसा नहीं होगा मै नफीस से बात करूंगा। जब उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा तब उसने बोला की शादी करोगे तो नफीस बोला कि "मेरी सगाई हो चुकी है।" इस बात की जानकारी होने पर की नफीस की सगाई हो गई है तब वह नफीस के घर दिनांक 18.08.2018 को गई। जब वह उसके घर गई तब वह उसकी अम्मी से बात की तब उसकी अम्मी बोली कि "मुझसे बात मत करो नफीस से बात करो।" जब वह नफीस से इसके बारे में बात की तो वह बोला कि "यह सब भूल जाओ यह सब एक नाटक था।" फिर उसकी अम्मी बोली कि "यह सब खत्म करने का कितना लोगी।" जब वह बोली कि मुझे पैसा नहीं चाहिए तब उसकी अम्मी ने और नफीस ने उसे धक्का मार कर घर से भगा दिया और जान से मारने की धमकी भी दी। धमकी के बारे में सोचकर वह चौकी गई फिर वह घर गई तब वह अपने घर वालों को बताई कि हम चौकी गए थे। पत्रावली में संलग्न टाइपशुदा दरख्वास्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनांक 30.08.2018 को अपना हस्ताक्षर बना कर दिया था। जिसकी वह पुष्टि करती है। जिस पर प्रदर्श क-1 डाला गया। उसने दरोगा जी को बयान दिया था और घटनास्थल को भी दिखाया था। उसका मेडिकल मुआयना भी हुआ था। उसने मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान दिया था। न्यायालय की अनुमति से पीड़िता का 164 सीआर.पी.सी का बयान सील बंद लिफाफा खोला गया। साक्षी ने द०प्र०सं० 164 के बयान की लगी फोटो को देखकर पीड़िता ने कहा कि उसकी फोटो है वह अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करती है। जिस पर प्रदर्श क-2 डाला गया।

9. अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्षी संख्या-2 शाहिबा नाज को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि- वह पीड़िता की बड़ी बहन है। नफीस उसके बच्चे को ट्यूशन पढ़ने आता था। उसकी बहन भी उसके साथ ही रहती थी। इसी बीच उसकी बहन से नफीस का प्रेम संबंध हो गया। हम लोगों ने पीड़िता व नफीस दोनों को बहुत समझाया लेकिन नफीस ने कहा कि वह इससे शादी करेगा। इसलिए हम लोगों ने ज्यादा दबाव नहीं दिया। नफीस व पीड़िता में क्या बात हुई उसे नहीं पता लेकिन नफीस ने

उसकी बहन को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया था। उसकी बहन जब उसके घर गई थी तो नफीस ने उसे जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया था।

10. अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्षी संख्या-3 सत्यमित्र कुमार चतुर्वेदी ने अपने बयान में कथन किया है कि दिनांक 03.11.2018 को वह राजकीय जिला महिला चिकित्सालय वाराणसी में E.M.O के पद पर शाम को 2.30 PM पर तैनाती थी। महिला का० उर्मिला यादव थाना जैतपुरा द्वारा पीड़िता पीड़िता पुत्री स्व० अब्दुल हमीद निवासी निवोरिया जैतपुरा वाराणसी को बाहरी व अंदरुनी परिक्षण के लिए लाया गया था। पीड़िता तथा महिला आरक्षी उर्मिला यादव की सहमति उपरान्त चिकित्सालय के नर्श की उपस्थिति में उसके द्वारा परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान महिला/पीड़िता की पहचान चिन्ह दाहिने गर्दन पर तिल के निशान, अविवाहित तथा पिछली माहवारी की तारीख 02.10.2018 को बताया गया। घटना का संक्षेप का विवरण कई सालों से साथ-साथ रहते हुए शादी करने से मना करना बताया गया तथा महिला अपनी उम्र आधार कार्ड के अनुसार 21 वर्ष बतायी। परीक्षण के दौरान महिला का रक्तचाप 110/70 तथा नाडी की गति 86/मिनट, ऊचाई पाच फीट तथा महिला का वजन 37.9kg बताया गया। महिला के बाहरी परीक्षण के दौरान उसके स्तन तथा अन्दरूनी वाल पूर्णरूप से विकसित पाया गया। परीक्षण के दौरान पीड़िता के दाहिने तरफ सीने में 3cm का खरोच जो कि हसुली से 5cm नीचे बाहर के तरफ था तथा पीड़िता के दाहिने हाथ के ऊपरी भाग में कुछ खरोच के निशान पाये गये। दोनों निशान भूरे रंग के थे जिसकी अवधि लगभग 7 दिन की हो सकती है। पीड़िता का अन्दरूनी जांच करने पर चोट या संघर्श के कोई निशान नहीं पाये गये तथा पीड़िता का हाइमन पुरानी हील्ड तथा कोई भी एक्टिव या पैजी रक्तश्राव नहीं पाया गया। महिला के आन्तरिक परीक्षण के दौरान वैजाइना स्मीयर की दो स्लाईड तैयार करके पैथोलॉजी के लिए भेजा गया तथा पूरक परीक्षण का इंतजार किया। तथा पूर्ण परीक्षण 4.43pm पर दिनांक 03.11.2018 को पूर्ण किया गया। मूल पत्रावली मे शामिल मिसिल पीड़िता के मेडिकल रिपोर्ट को देखकर साक्षी ने बताया कि यह उसके लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी वह शिनाख्त करता है। जिस पर प्रदर्श क-3 डाला गया। पीड़िता का पैथालॉजी रिपोर्ट तैयार किया गया। जिसमें बैजाइना स्मीयर पैथालॉजीकल रिपोर्ट में कोई भी जीवित या मृत शुक्राणु नहीं पाया गया। मूल पत्रावली में शामिल पूरक रिपोर्ट को देखकर साक्षी ने बताया कि यह उसके लेख व हस्ताक्षर में है जो आज उसके सामने है। अपने लेख व हस्ताक्षर की वह शिनाख्त करता है। जिस पर प्रदर्श क-4 डाला गया।

11. अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्षी संख्या- 4 महेश पाल ने मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 30.10.2018 को थाना जैतपुरा हेड कास्टेबल के पद पर था। प्रार्थिनी पीड़िता के टाइपशुदा तहरीर के आधार पर दिनांक 30.10.2018 को अ०सं० 323/2018 धारा 376/506 भा०दं०सं० की ये तहरीर उसे पुलिस आफिस से प्राप्त हुई थी।

जिसके आधार पर कम्पयूटर पर बोल-बोलकर कास्टेबल मुंशी सत्य विजय से तैयार कराये। जिस पर थाने का मोहर व थाना प्रभारी का हस्ताक्षर है। मूल पत्रावली में शामिल मिशिल चिक एफ.आई.आर कागज सं० 4अ/1 लगायत 4अ/2 है। जो आज उसके सामने है। जिसे देखकर साक्षी ने हस्ताक्षर की पुष्टि किया। जिस पर प्रदर्श क-5 डाला गया। एक ही प्रासेस में जी.डी. संख्या 58 कम्पयूटर पर बोल-बोलकर तैयार कराया गया जो मूल पत्रावली में संलग्न है। कागज सं० 7अ/1 है। जिसे साक्षी ने देखकर बताया कि यह वही जी.डी है। जिसे उसने तैयार किया था। जिस पर प्रदर्श क-6 डाला गया। दरोगा जी ने उसका बयान लिया था।

12. अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्षी संख्या- 5 बृजेश कुमार पाण्डेय ने अपने बयान में कथन किया है कि दिनांक 30.10.2018 को वादिनी/पीड़िता के टाइपशुदा तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 323/2018 ,धारा 376/506 भा०दं०सं० थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी का अभियोग पंजीकृत होकर विवेचना उसे सुपुर्द की गयी। दिनांक 31.10.2018 को उसके द्वारा विवेचना ग्रहण की गयी। तत्पश्चात उसके द्वारा पर्चा नंबर 1 किता किया गया जिसमें अवलोकन नकल एफ.आई.आर नकल रपट बयान लेखक कान्सटेवल एवं वादिनी के 161 सी.आर.पी.सी के बयान का अवलोकन कर पर्चा किता किया। तत्पश्चात वादिनी के निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर उसके द्वारा नक्शानजरी तैयार किया गया। पत्रावली में शामिल नक्शा नजरी कागज सं० 13अ है जो उसके द्वारा तैयार किया गया। उसके लेख व हस्ताक्षर मे है। वह अपने लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त करता है। जिस पर प्रदर्श क-7 डाला गया। दिनांक 28.11.2018 को पर्चा नंबर 2 किता किया गया जिसमें उसके द्वारा मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन कर पर्चा किता किया। दिनांक 04.02.2018 को पर्चा नंबर 3 व 3A किता किया गया जिसमें पीड़िता 164 सी.आर.पी.सी का बयान माननीय न्यायालय में दर्ज किया गया। तत्पश्चात उसके द्वारा पीड़िता का 164 सी.आर.पी.सी का बयान अवलोकन किया। दिनांक 10.02.2018 को पर्चा नंबर 4 किता किया जिसमें महिला कास्टेबल उर्मिला यादव व डाक्टर सत्यमित्रा कुमार का बयान लिया गया एवं उसके द्वारा सप्लीमेंटरी मेडिको लीगल रिपोर्ट अवलोकन कर पर्चा किता किया गया। दिनांक 17.12.2018 को पर्चा नबर 5 किता किया गया जिसमें साक्षी मो० सोराबुद्दीन व शाहिबा नाज, जहां आरा का बयान अंकित किया गया। दिनांक 20.12.2018 को पर्चा नंबर 6 किता किया जिसमे अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गयी। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तत्पश्चात उसका बयान अंकित किया गया। उसके बयान मे यह तथ्य प्रकाश में आया कि वो पीड़िता से शादी करने से इन्कार कर रहा है। तत्पश्चात बयान के आधार पर धारा 417IPC की बढ़ोत्तरी की गयी जिसका तक्षकरा जी.डी. 25 समय 13.11 बजे दिनांक 21.12.2018 को की गयी। दिनांक 21.12.2018 को पर्चा नंबर 7 किता किया गया। जिसमें माननीय न्यायालय अभियुक्त के रिमांड हेतु पेश किया गया। दिनांक 22.12.2018 को पर्चा नंबर 8 किता किया गया। जिसमें साक्षी ताजेदार आलम व अमीन अहमद का बयान अंकित किया गया। तमामी

विवेचना वादिनी का 161 व 164 सी.आर.पी.सी का निरीक्षण घटनास्थल बयानात गवाहान व चिकित्सीय अभिलेखों अन्य साक्ष्य सबुतों के आधार पर अभियुक्त नफीस अहमद पुत्र अंसार अली निवासी A39/371 फकीर टोलिया थाना जैतपुरा वाराणसी के विरुद्धु जुर्म धारा 376,506,417 भा०दं०सं० का अपराध बाखुबी साबित है। अभियुक्त उपरोक्त का चालान आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। पत्रावली में शामिल आरोप पत्र कागज सं० 3अ/2 है जो मूल कम्पयुटराइज्ड प्रति है। जिस पर उसके हस्ताक्षर बने है। वह अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करता है। जिस पर प्रदर्श क-8 डाला गया।

13. अभियोजन की ओर से अन्य कोई अभिलेखीय साक्ष्य व अऩ्य किसी साक्षी को न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं कराया गया है। तद्रुसार अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया।

14. अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के उपरान्त अभियुक्त का बयान अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. अंकित किया गया। जिसमें अभियुक्त द्वारा अभियोजन कथानक को गलत बताया है तथा स्वयं को निर्दोष होना कहा गया है।

15. बचावपक्ष की ओर से सफाई साक्ष्य में नफीस अहमद को डी.डब्लू 1 के रूप में परीक्षित कराया गया है।

16. बचावपक्ष की ओर से अभियुक्त ने स्वयं को साक्षी डी.डब्लू 1 के रूप में परीक्षित कराया गया। जिसने अपने बयान में कथन किया है कि उसके मकान के बगल के मकान मे किराये पर गुलफ्शा पुत्री हमीद मरहूम निवासिनी सैयार थाना जैतपुरा वर्ष 2018 में रहती थी। उसके मकान के बगल में रहने के कारण गुलफ्शा से जान पहचान हो गयी थी। कभी जरूरत पड़ने पर वह गुलफ्शा के परिवार का काम धाम भी कर दिया करता था। उसका निकाह तय हो गया था। जिसकी जानकारी गुलफ्शा को होने पर वह अपने जाल में फंसाने की गरज से उससे बोली "मैं तुमसे प्यार करती हूं और निकाह भी तुम्ही से करूंगी।" यह सुनकर वह दंग रह गया और गुलफ्शा से कहा कि "मैं तुम्हारे बारे में कभी ऐसा सोचा भी नही।" यह सुनकर गुलफ्शा उग्र हो गयी। और धमकी देने लगी कि तुम लोगो के उपर मुकदमा लिखाकर जिन्दगी बरबाद कर दूंगी। मैं भी देखती हूं कि तुम निकाह कैसे करते हो।" गुलफ्शा के इस झूठे कृत्य में उसकी तीनो सगी बहने व भाई भी साथ देते है। गुलफ्शा काफी मनबढ़ किस्म की लड़की है। वह कई लड़को के साथ घूमती फिरती है व बात करती है। उसके उपर पैसे के लिए फर्जी मुकदमा दर्ज करा दी।

17. उत्तरप्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) की ओर से तर्क किया गया है कि अभियोजन ने अभिलेखीय व मौखिक साक्ष्य के माध्यम से अभियोजन कथानक को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है। अतः अभियुक्त लगाये गये आरोपो में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

18. बचाव पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यंत विलंब से लिखायी गयी है। अभियोजन द्वारा विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। स्वयं पीड़िता के बयान अंतर्गत धारा 161 दं.प्र.सं. व धारा 164 दं.प्र.सं. के बयानों में तार्किक विरोधाभास है। जिससे अभियोजन कथानक की पुष्टि नहीं होती है। पूरक चिकित्सीय आख्या में कोई शुक्राणु नहीं पाया गया है तथा चिकित्सक द्वारा अपने अभिमत में तत्कालिक लैंगिक संभोग के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की है। चिकित्सीय विधिक परीक्षण आख्या में जो चोटे बतायी गयी है, चिकित्सक साक्षी द्वारा उन चोटो को लगभग सात दिन पुराना बताया है। जबकि अभियोजन का कथन है कि दिनांक 18.08.2018 को पीड़िता को अभियुक्त द्वारा धमकी देते हुए धक्का देकर घर से बाहर कर दिया गया। अभियुक्त पर यह आरोप है कि दिनांक 30.10.2018 व इसके पूर्व भिन्न भिन्न समय व स्थान पर अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा/पीड़िता के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध बलात्संग किया, विवेचक द्वारा वादी मुकदमा/पीड़िता की निशानदेही पर नक्शानजरी बनाया जाना कहा है परंतु नक्शानजरी में विवेचक ने A1 से जिस स्थान को दर्शाया है वह स्थान किस के घर का है यह स्पष्ट नहीं किया गया है। घटनास्थल साबित नहीं है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। अभियोजन लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त लगाये गये आरोपो में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

19. न्यायालय द्वारा राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना गया तथा समस्त पत्रावली एवं उपलब्ध समस्त मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया।

20. न्यायालय को यह देखना है, कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध धारा 417,506,376 भा.दं.सं. के आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं।

21. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **टीका बनाम उ०प्र०राज्य ए०आई०आर० 1974 सुप्रीम कोर्ट 155** में यह अवधारित किया है कि अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना है, बचाव पक्ष की असत्यता तात्विक नही है।

22. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **अशोक डेब्बारामा उर्फ अचक डेब्बारामा बनाम त्रिपुरा राज्य (2014) 4 एस०सी०सी० 747** में " **युक्तियुक्त संदेह से परे**" और "**युक्तियुक्त संदेह**" के संबंध में पैरा 27 से 31 तक अपना अभिमत व्यक्त किया है-

(A) " An accused has a profound right not to be convicted of an offence which is not established by the evidential standard of proof " beyond reasonable doubt." This court in Krishnan and others vs. State represented by Inspector of police(2003)7 SCC 56 held that the doubts

would be called reasonable if they are free from a zest for abstarct speculation. Law can not afford any favorite other than truth and to constitute reasonable doubt, it must be free from an overemotional response. Doubts must be actual and substantial doubt as to guilt of the accused persons arising from the evidence, of from the lack of it, as opposed to mere vague apprehensions. A reasonable doubt is not an imaginary, tivial or merely possible doubt. but a fair doubt based upon reason and common sense. it must grow out of the evidence in the case.

(B) In our criminal justice system, for recording guilt of the accused it is not necessary that the prosecution should prove the case with absolute or mathematical certainty, but only beyond reasonable doubt is beyond reasonable doubt. may carry in there mind, some "reasonable doubt" even though the courts are convinced of the accused persons guilt beyond reasonable doubt.

23. **कालीराम बनाम हिमांचल राज्य ए०आई०आर० 1973 सुप्रीम कोर्ट** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि आपराधिक न्याय प्रशासन का मुख्य सिद्धान्त यह है कि अभियुक्त के रूप में आरोपित व्यक्ति की निर्दोषिता की उपधारणा की जायेगी, जब तक कि अभियोजन अपने साक्ष्य से उक्त उपधारणा को खण्डित करते हुए यह दर्शित न करे कि वह उस अपराध का दोषी है, जिसके लिये वह आरोपित किया गया है।

24. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत न्याय दृष्टान्त **उ०प्र० राज्य बनाम कृष्णगोपाल एवं अन्य (1988) 4 एस०सी०सी० 302** में अवधारित किया गया है कि It is a cardinal principle of criminal jurisprudence that the guilt of the accused must be proved beyond all reasonable doubts. However,the burden on the prosecution is only to establish its case beyond all reasonable doubt and not all doubts.

25. वर्तमान प्रकरण में अभियोजन पक्ष के द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 417,506,376 भा.दं.सं. का आरोप लगाया गया है। अतः उभयपक्ष के तर्को को सुनने व पत्रावली पर प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के संबंध में वर्तमान प्रकरण के प्रभावी निस्तारण हेतु अंतर्गत धारा 354(1)(बी)दं.प्र.सं. निम्नलिखित अवधार्य बिन्दु विरचित किये जाते हैः-

1. क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से लिखायी गयी है और अभियोजन द्वारा विलंब का पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया गया है**?**

2. क्या घटना स्थल साबित है**?**

3. क्या दिनांक 30.10.2018 व इसके पूर्व भिन्न भिन्न समय व स्थान पर अभियुक्त द्वारा छल पूर्वक विवाह करने का कथन करके वादी मुकदमा/पीड़िता के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध बलात्संग कर जान से मारने की धमकी दी गयी?

26. प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम अवधार्य प्रश्न यह है कि क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से लिखायी गयी है और अभियोजन द्वारा विलंब का पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया गया है?

27. बचावपक्ष का कथन है कि वादी मुकदमा/पीड़िता द्वारा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से दिनांक 30.10.2018 को पंजीकृत करायी गयी है। जिसका अभियोजन द्वारा कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे अभियोजन कथानक पर संदेह उत्पन्न होता है।

28. प्रस्तुत मामले में अभियुक्त पर यह आरोप है कि उसके द्वारा दिनांक 30.10.2018 व उसके पूर्व भिन्न भिन्न समय व स्थान पर पीड़िता के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध बलात्संग किया। वादी मुकदमा/पीड़िता द्वारा प्रस्तुत तहरीर टाईपशुदा व हस्ताक्षरित दिनांकित 30.10.2018 पत्रावली पर कागज सं. 5अ/1 ता 5अ/2 है। वादी मुकदमा पी.डब्लू 1 ने पत्रावली पर उपलब्ध तहरीर पर अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की है तथा प्रदर्श क-1 के रूप में साबित किया है। उक्त तहरीर के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 30.10.2018, 22.48 बजे थाना जैतपुरा वाराणसी पर पंजीकृत की गयी है। जिसका इन्द्राज रोजनामचा संदर्भ में 56 दिनांक 30.10.2018 समय 22.48 बजे है। पी.डब्लू 4 द्वारा अपने न्यायलयीन कथनों में वादी मुकदमा की टाईपशुदा तहरीर के आधार पर दिनांक 30.10.2018 को प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किया जाना कहा है। पी.डब्लू 4 द्वारा अपने बयानों में यह बताया गया है कि वादी मुकदमा की तहरीर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट उसके द्वारा कम्प्यूटर पर बोल बोल कर का0 सत्य विजय से तैयार करायी थी। पी.डब्लू 4 ने प्रथम सूचना रिपोर्ट पर थाने की मोहर व थाना प्रभारी के हस्ताक्षर की शिनाख्त किया है तथा चिक एफ.आई.आर. कागज सं. 4अ/1 ता 4अ/2 को प्रदर्श क-5 के रूप में साबित किया है तथा एक ही प्रोसेस में जी.डी. कागज सं. 7अ/1 को तैयार करना बताया है तथा प्रदर्श क-6 के रूप में साबित किया है। जहां तक प्रस्तुत मामले में बचावपक्ष के पीड़िता द्वारा अपने न्यायालयीन कथनों में तहरीर प्रदर्श क-1 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिये जाने और उस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के हस्ताक्षर नहीं होने का प्रश्न है तो इस संबंध में पी.डब्लू 4 द्वारा प्रतिपरीक्षा में किया गया कथन उल्लेखनीय है जिसमें पी.डब्लू 4 द्वारा यह तथ्य प्रस्तुत किया गया है कि टाईपशुदा तहरीर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा थाने पर आया था। टाईपशुदा तहरीर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा एफ.आई.आर. पंजीकृत करने का आदेश नहीं दिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा सात दिन के अंदर आख्या मांगी गयी थी। उक्त आख्या भेजी गयी थी। तहरीर थाने पर पहुंचने पर एस.ओ. साहब के आदेश से प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी थी। अभियोजन कथानक है कि जब वादी मुकदमा पी.डब्लू 1 अभियुक्त की सगाई की जानकारी होने पर दिनांक 18.08.2018 को अभियुक्त के घर गयी तो वहां पर अभियुक्त द्वारा उसे धक्का

मारकर बाहर कर दिया। परंतु वादी मुकदमा पी.डब्लू 1 द्वारा कथित घटना दिनांक 18.08.2018 को रिपोर्ट न लिखवाकर घटना के लगभग दो माह बारह दिन के पश्चात प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी है। जबकि यदि वादी मुकदमा पी.डब्लू 1 चाहती तो दिनांक 18.08.2018 को भी प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करवा सकती थी।

29. उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण से यह तथ्य उभर कर सामने आता है कि वादी मुकदमा/पीड़िता द्वारा घटना की तहरीर देने में अनावश्यक विलंब कारित हुआ है। जिसका अभियोजन की ओर से कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे अभियोजन कथानक पर युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न होता है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा विधि व्यवस्था **राजेश कुमार दुबे बनाम उ.प्र.राज्य (2022) 11 ILRA 1199 निर्णय दिनांक 16.11.2022** उल्लेखनीय है जिसमें यह अवधारित किया गया है कि लैंगिक उत्पीड़न के मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में देरी सामान्य रूप से अभियोजन मामलों को प्रभावित नहीं करती है। जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में कहा है, लेकिन जहां एफ.आई.आर दर्ज करने में अत्यधिक देरी होती है, ऐसी परिस्थितियों में, यह पूरे अभियोजन कहानी की विश्वसनीयता पर संदेह के बादल उत्पन्न करती है और इस प्रकार का विलंब निश्चित रूप से अभियोजन मामले के लिए घातक माना जायेगा। अतः बचाव पक्ष का तर्क स्वीकार किये जाने योग्य है।

30. प्रस्तुत प्रकरण में द्वितीय अवधार्य प्रश्न यह है, कि क्या घटना स्थल साबित है?

31. प्रस्तुत मामले में पी.डब्लू 5 विवेचक है, जिसने अपने न्यायालयीन कथनों में नक्शानजरी कागज सं. 13अ/1 को अपने लेख व हस्ताक्षर में होना बताया है तथा प्रदर्श क-7 के रूप में प्रमाणित किया है। पी.डब्लू 5 द्वारा अपने न्यायालयीन कथनों में यह बताया गया है कि वादिनी की निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शानजरी तैयार किया गया। वादी मुकदमा पी.डब्लू 1 द्वारा अपनी मुख्यपरीक्षा में यह बताया गया है कि अभियुक्त ने जिन-जिन स्थानों पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया था उन सभी स्थानों को उसने विवेचक को दिखा दिया था। परंतु नक्शानजरी प्रदर्श क-7 में पी.डब्लू 5 ने घटनास्थल को चिन्ह A1 से दर्शाया है। परंतु उक्त नक्शानजरी में यह स्पष्ट नहीं किया है कि नक्शानजरी घटनास्थल किस स्थान का है। नक्शानजरी घटनास्थल मे A1 के पश्चिम में रसोई तथा दक्षिण में वाशरूम की स्थिति दर्शायी गयी है जो यह इंगित करती है कि उक्त नक्शानजरी घटनास्थल संभवतः किसी के घर का है। परंतु उक्त नक्शानजरी घटनास्थल में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह किसके घऱ का है। पी.डब्लू 2, वादी मुकदमा पी.डब्लू 1 की बड़ी बहन है जिसके न्यायालयीन कथनों में यह तथ्य आया है कि वादी मुकदमा/पीड़िता उसके साथ रहती थी। परंतु पी.डब्लू 2 ने प्रतिपरीक्षा में यह तथ्य प्रस्तुत किया है कि नफीस ने पीड़िता से कभी भी उसके मकान में शारीरिक संबंध नहीं बनाया था। जिससे अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा/पीड़िता के साथ उसकी बड़ी बहन के घर में शारीरिक संबंध स्थापित किया

जाना भी प्रमाणित नहीं होता है। वादी मुकदमा पी.डब्लू 1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में घटनास्थल परिवार हाउस होटल कैंट क्षेत्र होना बताया है। परंतु नक्शानजरी घटनास्थल प्रदर्श क-7 से यह इंगित नहीं होता है कि नक्शानजरी घटनास्थल प्रदर्श क-7 कथित होटल का है। अतः अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षीगण के बयानों से घटना स्थल साबित नहीं होता है।

32. प्रस्तुत प्रकरण में तृतीय अवधार्य प्रश्न यह है कि क्या दिनांक 30.10.2018 व इसके पूर्व भिन्न भिन्न समय व स्थान पर अभियुक्त द्वारा छल पूर्वक विवाह करने का कथन करके वादी मुकदमा/पीड़िता के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध बलात्संग कर जान से मारने की धमकी दी गयी?

33. प्रस्तुत मामले में अभियोजन कथानक है कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 30.10.2018 व उसके पूर्व भिन्न भिन्न समय व स्थान निबुरिया थाना जैतपुरा जिला वाराणसी के अंतर्गत वादी मुकदमा/पीड़िता के साथ छलपूर्वक विवाह करने का कथन करके उसकी इच्छा के विरूद्ध शारीरिक संबंध स्थापित किया गया। वादी मुकदमा/पीड़िता द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 161 दं.प्र.सं. में अभियुक्त से करीब तीन वर्ष से बात करना तथा शादी का बोल कर हमेशा शारीरिक संबंध बनाया जाना कहा है। वादी मुकदमा पी.डब्लू 1 द्वारा अपने न्यायालयीन कथनों में कथन किया गया है कि अभियुक्त पिछले लगभग तीन वर्षो से उसके घर आता जाता रहा इसी दौरान नफीस अहमद ने उससे बोला कि उसे प्यार हो गया है, शादी करना चाहता है और शादी की बात करके वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। परंतु वादी मुकदमा/पीड़िता पी.डब्लू 1 ने अपने बयान अंतर्गत धारा 164 दं.प्र.सं. में कथन किया है कि **वह नफीस अहमद से तीन वर्षो तक प्यार करती थी और शादी भी करना चाहती थी। वह नफीस के साथ अपनी मर्जी से होटल जाती थी। उन दोनों के बीच जो भी संबंध बने थे, वो दोनो की मर्जी से बनते थे।** पी.डब्लू 2 जो पीड़िता की बहन है, के बयानों में भी यह तथ्य आया है कि वादी मुकदमा पी.डब्लू 1 का अभियुक्त नफीस से प्रेम संबंध था। इस प्रकार वादी मुकदमा पी.डब्लू 1 के सशपथ बयानों तथा धारा 164 दं.प्र.सं. के बयानों में तार्किक विरोधाभास है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि एक मात्र पीड़िता के साक्ष्य पर अभियुक्त की दोषसिद्धि आधारित हो सकती है। यदि न्यायालय द्वारा पीड़िता का बयान सत्य एवं विश्वसनीय पाया जाये। प्रस्तुत मामले में पीड़िता के बयानों में सारवान विरोधाभास विद्यमान है। जिस कारण वादी मुकदमा/पीड़िता पी.डब्लू 1 का बयान किसी अन्य सहायक साक्ष्य की अनुपस्थिति में सत्य एवं विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। पत्रावली पर उपलब्ध वादी मुकदमा पी.डब्लू 1 के सशपथ साक्ष्य व धारा 164 दं.प्र.सं. के बयान को यदि समग्र रूप से देखा जाये तो यह तथ्य ऊभर कर सामने आता है कि वादी मुकदमा/पीड़िता भी अभियुक्त से प्रेम करती थी, शादी करना चाहती थी और उन दोनो के मध्य जो भी संबंध बने थे, दोनो की सहमति से बने थे। **कुणाल चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य 2025 Live Law (SC) 765** प्रस्तुत मामले में अनुप्रयोज्य है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय

द्वारा यह अवधारित किया गया है कि विवाह के वादे के बाद सहमति से शारीरिक सहमति बनाना बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है। पी.डब्लू 3 डॉ0 सत्यमित्र चतुर्वेदी ने पत्रावली पर उपलब्ध पीड़िता की चिकित्सीय विधिक आख्या व पूरक चिकित्सीय आख्या के अपने लेख व हस्ताक्षर में होने की पुष्टि की है तथा प्रदर्श क-3 व प्रदर्श क-4 के रूप में साबित किया है। पी.डब्लू 3 ने अपने न्यायालयीन कथनों में पीड़िता की वेजाइनल स्मीयर पैथोलाजिकल रिपोर्ट में कोई भी जीवित या मृत शुक्राणु नहीं बताया है। पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 03.11.2018 को समय 02.30 पी.एम. पर किया गया है। पी.डब्लू 3 के न्यायालयीन कथनानुसार पीड़िता के दाहिने तरफ सीने में तीन सें0 मी0 का खरोच हंसुली से पांच से.मी. नीचे बाहर की तरफ तथा दाहिने हाथ की ऊपरी भाग में कुछ खरोच के निशान पाये गये हैं। जिनकी अवधि पी.डब्लू 3 ने पांच दिन पुरानी होनी कही है। परंतु दस दिन पुरानी होने से इंकार किया है। जिससे वादी मुकदमा/पीड़िता के दिनांक 18.08.2018 को चोटे आना प्रमाणित नहीं होता है। उपरोक्त विश्लेषण से अभियुक्त के विरूद्ध आरोप अंतर्गत धारा 376,417 भा.दं.सं. युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।

34. जहां तक अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा/पीड़िता को जान से मारने की धमकी देने का प्रश्न है तो अभियोजन द्वारा इसके समर्थन में पत्रावली पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है । यहां तक कि पी.डब्लू 5 द्वारा अपने न्यायालयीन कथनों में कहा गया है कि पीड़िता को जान से मारने की धमकी अभियुक्त ने नहीं बल्कि अभियुक्त के परिवार वालों ने दी थी। अतः धारा 506 भा.दं.सं. का आरोप भी अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है।

35. उपरोक्त समग्र विश्लेषण, विवेचित तथ्यों व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 417,376,506 भा०दं०सं० को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। जिस कारण अभियुक्त संदेह का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः अभियुक्त नफीस अहमद लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 417,376,506 भा०दं०सं० से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

36. सत्र परीक्षण संख्या 53/2019 मु.अ.सं.-323/2018 थाना-जैतपुरा, वाराणसी के मामले में अभियुक्त नफीस अहमद लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 376,417,506 भारतीय दण्ड संहिता में दोषमुक्त किया जाता है।

37. अभियुक्त जमानत पर है, अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान उपस्थित रहने हेतु प्रस्तुत जमानतनामें व बन्ध पत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

38. अभियुक्त नफीस अहमद के द्वारा धारा- 437(ए) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत 50,000/- रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समतुल्य धनराशि की दो प्रतिभू निर्णय की तिथि से अंदर तीन दिवस निष्पादित करे कि यदि किसी उच्चतर न्यायालय/अपीलीय न्यायालय में कोई अपील या याचिका संस्थित की जाती है, तथा उच्चतर न्यायालय/अपीलीय न्यायालय द्वारा उन्हें आहूत किया जाता है तो वह उपस्थित रहेगा। अभियुक्त द्वारा धारा- 437(ए) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दाखिल बन्धपत्र व प्रतिभू निर्णय के दिनांक से छः माह तक प्रवृत्त रहेगा।

दिनांकः-22.07.2026

(कुलदीप सिंह-II)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
/एफ०टी०सी० प्रथम ,वाराणसी।

39. उक्त निर्णय, आदेश व दण्डादेश आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः-22.07.2026

(कुलदीप सिंह-II)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
/एफ०टी०सी० प्रथम ,वाराणसी।

बिकास कुमार (आशुलिपिक)

जे०ओ० कोड-यू०पी० 1818